

॥ अधिसूचना ॥

संचिका संख्या-06/EH & S-01-06/2026.7477/जे0, पटना, दिनांक-10.09.26

बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के प्रावधानों के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विधि पदाधिकारियों की कोटि में अपर महाधिवक्ता (AAG) के पद पर निम्नांकित अधिवक्ताओं को वचनबद्ध किया जाता है:-

क्र० सं०	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन संख्या	मोबाईल नम्बर
1.	Shri Ashwarya Sinha	D/587/2008	01141618119
2.	Shri Keshav Ranjan	D/1440/2005	9899355615

2. उक्त वचनबद्ध सभी अपर महाधिवक्ता (AAG) को उनके नाम के पहले अंकित क्रम संख्या से ही जाना जायेगा। अर्थात् क्रम संख्या-01 में उल्लेखित नाम को अपर महाधिवक्ता संख्या-01 (AAG-01) कहा जायेगा। यह क्रम परस्पर वरीयता का निर्धारण नहीं माना जायेगा।

3. उक्त सभी विधि पदाधिकारी वचनबद्धता के उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से सरकार के अगले आदेश तक पद को धारित करेंगे एवं देय शुल्क का भुगतान प्रभार ग्रहण की तिथि (पूर्वाहन/अपराहन को दृष्टिपथ में रखकर) से किया जायेगा।

4. उक्त सभी विधि पदाधिकारी को विधि विभाग द्वारा निर्धारित की जानेवाली शुल्क अनुमान्य होगा।

5. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी किसी अन्य स्थान पर नियुक्त/वचनबद्ध हो एवं राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से Fixed मासिक शुल्क प्राप्त कर रहे हो या जो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी न्यायाधिकरण में प्रभारी सरकारी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हो तो उन्हें पद से एक (01) माह के अन्दर त्याग-पत्र देना अनिवार्य होगा। अन्यथा इस संबंध में संज्ञान होने पर महाधिवक्ता की अनुशंसा पर उनकी वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

6. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी उक्त नियमावली के नियम-7 में निरर्हताएँ के संबंध में उल्लेखित शर्तों के अधीन किसी भी समय निरर्हक पाये जाते हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी वचनबद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

7. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी राज्य सरकार एवं महाधिवक्ता द्वारा जारी आदेश/निदेश/अनुदेश का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में समीक्षोपरांत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

8. विधि पदाधिकारी सरकार के खिलाफ या सरकारी निगम/बोर्ड/अर्द्धनिकाय या जहाँ सरकार का कोई हित निहित है, के मामले में सरकार के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, यह मामला उनकी वचनबद्धता की तिथि के पूर्व का ही क्यों न हो। ऐसे मामले दृष्टान्त में आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी।
9. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, उक्त नियमावली के नियम-8 में उल्लेखित कर्तव्यों का पालन करेंगे। नियम-8 में उल्लेखित कर्तव्यों के पालन में असफलता की स्थिति में विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श से विधि विभाग, बिहार के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विधि पदाधिकारी के कार्य से किसी भी समय मुक्त कर दिया जायेगा।
10. उक्त नियमावली के नियम-11 के आलोक में उक्त सभी वचनबद्ध विधि पदाधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन महाधिवक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन उनके द्वारा विधि विभाग को भेजी जायेगी तथा समीक्षोपरांत विधि पदाधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उन्हें विधि पदाधिकारी के पद से विमुक्त कर दिया जायेगा।
11. सभी विधि पदाधिकारी अपने कार्यों की विवरणी, जिसमें उनके द्वारा निष्पादित केस एवं विशेष रूप से सरकार के पक्ष एवं विपक्ष में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए विद्वान महाधिवक्ता को प्रत्येक माह समर्पित करेंगे। इसमें यह भी उल्लेख करेंगे कि कितने मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल हुआ और कितने में नहीं हुआ।
12. विधि पदाधिकारियों को अपने आवंटित मामलों में सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली से विधि पदाधिकारी की अनुपस्थिति के शिकायत पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
13. सभी विधि पदाधिकारी, सरकार के विरुद्ध आदेश पारित होने पर महाधिवक्ता को सूचित करते हुए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को अपने परामर्श के साथ प्रतिवेदित करेंगे कि इस मामले में अपील/पुनर्विचार दायर किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र (अधिकतम एक सप्ताह के अंदर) अपने परामर्श के साथ संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे।
14. उक्त वचनबद्ध विधि पदाधिकारियों में प्रत्येक को 04 सहायक अधिवक्ता अनुमान्य होंगे। उक्त नियमावली के नियम-9 के आलोक में सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता महाधिवक्ता की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। सहायक अधिवक्ता की अनुमान्यता एवं इस संबंध में महाधिवक्ता की अनुशंसा से राज्य सरकार द्वारा भविष्य में किये जानेवाले विनिश्चय अथवा समय-समय पर इस संबंध में निर्गत आदेश लागू होगा।
15. सभी विधि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वचनबद्धता के दो माह के अंदर सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता हेतु अनुशंसा के संबंध में कार्रवाई कर ली जाय। साथ ही अगर बीच में किसी सहायक अधिवक्ता को हटाकर किसी दूसरे सहायक अधिवक्ता को वचनबद्ध किया जाता है तो सहायक अधिवक्ता को हटाने के एक सप्ताह के अंदर विधि विभाग को महाधिवक्ता के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा उसके एक महीने के अंदर दूसरे सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता हेतु अनुरोध किया जायेगा।
16. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 में उल्लेखित सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में अपर महाधिवक्ता (AAG) के पद पर नियुक्ति/वचनबद्धता हेतु निर्गत पूर्व के सभी आदेशों को अवक्रमित किया जाता है।

18. यह आदेश, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

B. Ram Dubey

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-...../जे0, पटना, दिनांक-...10.09.26

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सी0डी0 प्रति (सॉफ्ट कॉपी) सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा 100 (सौ) गजट की प्रतियाँ इस विभाग में भेजने हेतु अग्रसारित।

B. Ram Dubey

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-...../जे0, पटना, दिनांक-...10.09.26

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

B. Ram Dubey

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-...../जे0, पटना, दिनांक-...10.09.26

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, बिहार सदन कोषागार, कमरा नं०-214, बिहार सदन, द्वारका सेक्टर-19, पॉकेट-1, नई दिल्ली-110075 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

B. Ram Dubey

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-...../जे0, पटना, दिनांक-...10.09.26

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना एवं माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

B. Ram Dubey

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-...../जे0, पटना, दिनांक-...10.09.26

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

B. Ram Dubey

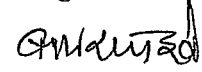
(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-.....7477...../जे0,

पटना, दिनांक-10.09.26

प्रतिलिपि:- निबंधक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली एवं अपर सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, संपर्क कार्यालय (विधि विभाग), कमरा नं०-218, बिहार सदन, द्वारका सेक्टर-19, पॉकेट-1, नई दिल्ली-110075 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.....7477...../जे0,

पटना, दिनांक-10.09.26

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसे महाधिवक्ता कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।



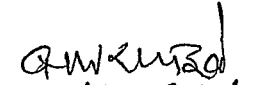
(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.....7477...../जे0,

पटना, दिनांक-10.09.26

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


10.09.26
(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

॥ अ धि सू च ना ॥

संचिका संख्या-06/EH & S-01-06/2026.....7478/जे०, पटना, दिनांक-10.09.26

बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के प्रावधानों के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विधि पदाधिकारियों की कोटि में **स्थायी विधिक सलाहकार (SC)** के पद पर निम्नांकित अधिवक्ताओं को वचनबद्ध किया जाता है:-

क्र0सं0	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन संख्या	मोबाईल नम्बर
1.	Shri Akshay Amritanshu	D/1004/2014	9931282222
2.	Shri Rishi Kumar Awasthi	D/61/2004	9891920235

2. उक्त वचनबद्ध सभी स्थायी विधिक सलाहकार (SC) को उनके नाम के पहले अंकित क्रम संख्या से ही जाना जायेगा। अर्थात् क्रम संख्या-01 में उल्लेखित नाम को स्थायी विधिक सलाहकार संख्या-01 (SC-01) कहा जायेगा। यह क्रम परस्पर वरीयता का निर्धारण नहीं माना जायेगा।
3. उक्त सभी विधि पदाधिकारी वचनबद्धता के उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से सरकार के अगले आदेश तक पद को धारित करेंगे एवं देय शुल्क का भुगतान प्रभार ग्रहण की तिथि (पूर्वाहन/अपराहन को दृष्टिपथ में रखकर) से किया जायेगा।
4. उक्त सभी विधि पदाधिकारी को विधि विभागीय पत्रांक-4417/जे0, दिनांक-13.06.2023, विधि विभागीय पत्रांक-118/जे0, दिनांक-08.01.2025 एवं पत्रांक-5122/जे0, दिनांक-01.07.2026 (समय-समय पर यथा संशोधित) अथवा भविष्य में राज्य सरकार द्वारा जो विनिश्चित की जायेगी, के अनुसार शुल्क भुगतान किया जायेगा। शुल्क की देयता के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश, भुगतान की प्रक्रिया में प्रभावी होगा।
5. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी किसी अन्य स्थान पर नियुक्त/वचनबद्ध हो एवं राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से Fixed मासिक शुल्क प्राप्त कर रहे हो या जो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी न्यायाधिकरण में प्रभारी सरकारी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हो तो उन्हें पद से एक (01) माह के अन्दर त्याग-पत्र देना अनिवार्य होगा। अन्यथा इस संबंध में संज्ञान होने पर महाधिवक्ता की अनुशंसा पर उनकी वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
6. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी उक्त नियमावली के नियम-7 में निरर्हताएँ के संबंध में उल्लेखित शर्तों के अधीन किसी भी समय निरर्हक पाये जाते हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी वचनबद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
7. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी राज्य सरकार एवं महाधिवक्ता द्वारा जारी आदेश/निदेश/अनुदेश का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अनुपालन नहीं किये जाने की

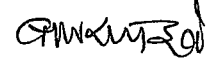
- स्थिति में समीक्षोपरांत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
8. विधि पदाधिकारी सरकार के खिलाफ या सरकारी निगम/बोर्ड/अर्द्धनिकाय या जहाँ सरकार का कोई हित निहित है, के मामले में सरकार के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, यह मामला उनकी वचनबद्धता की तिथि के पूर्व का ही क्यों न हो। ऐसे मामले दृष्टान्त में आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी।
9. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, उक्त नियमावली के नियम-8 में उल्लेखित कर्तव्यों का पालन करेंगे। नियम-8 में उल्लेखित कर्तव्यों के पालन में असफलता की स्थिति में विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श से विधि विभाग, बिहार के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विधि पदाधिकारी के कार्य से किसी भी समय मुक्त कर दिया जायेगा।
10. उक्त नियमावली के नियम-11 के आलोक में उक्त सभी वचनबद्ध विधि पदाधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन महाधिवक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन उनके द्वारा विधि विभाग को भेजी जायेगी तथा समीक्षोपरांत विधि पदाधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उन्हें विधि पदाधिकारी के पद से विमुक्त कर दिया जायेगा।
11. सभी विधि पदाधिकारी अपने कार्यों की विवरणी, जिसमें उनके द्वारा निष्पादित केस एवं विशेष रूप से सरकार के पक्ष एवं विपक्ष में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए विद्वान महाधिवक्ता को प्रत्येक माह समर्पित करेंगे। इसमें यह भी उल्लेख करेंगे कि कितने मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल हुआ और कितने में नहीं हुआ।
12. विधि पदाधिकारियों को अपने आवंटित मामलों में सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली से विधि पदाधिकारी की अनुपस्थिति के शिकायत पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
13. सभी विधि पदाधिकारी, सरकार के विरुद्ध आदेश पारित होने पर महाधिवक्ता को सूचित करते हुए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को अपने परामर्श के साथ प्रतिवेदित करेंगे कि इस मामले में अपील/पुनर्विचार दायर किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र (अधिकतम एक सप्ताह के अंदर) अपने परामर्श के साथ संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे।
14. उक्त वचनबद्ध विधि पदाधिकारियों में प्रत्येक को 05 सहायक अधिवक्ता अनुमान्य होंगे। उक्त नियमावली के नियम-9 के आलोक में सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता महाधिवक्ता की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। सहायक अधिवक्ता की अनुमान्यता एवं इस संबंध में महाधिवक्ता की अनुशंसा से राज्य सरकार द्वारा भविष्य में किये जानेवाले विनिश्चय अथवा समय-समय पर इस संबंध में निर्गत आदेश लागू होगा।
15. सभी विधि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वचनबद्धता के दो माह के अंदर सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता हेतु अनुशंसा के संबंध में कार्रवाई कर ली जाय। साथ ही अगर बीच में किसी सहायक अधिवक्ता को हटाकर किसी दूसरे सहायक अधिवक्ता को वचनबद्ध किया जाता है तो सहायक अधिवक्ता को हटाने के एक सप्ताह के अंदर विधि विभाग को महाधिवक्ता के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा उसके एक महीने के अंदर दूसरे सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता हेतु अनुरोध किया जायेगा।

16. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 में उल्लेखित सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में स्थायी विधिक सलाहकार (SC) के पद पर नियुक्ति/वचनबद्धता हेतु निर्गत पूर्व के सभी आदेशों को अवक्रमित किया जाता है।

18. यह आदेश, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

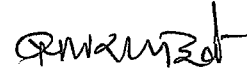


(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7478/जे0, पटना, दिनांक 10-09-26

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सी0डी0 प्रति (सॉफ्ट कॉपी) सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा 100 (सौ) गजट की प्रतियाँ इस विभाग में भेजने हेतु अग्रसारित।



(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7478/जे0, पटना, दिनांक 10-09-26

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7478/जे0, पटना, दिनांक 10-09-26

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, बिहार सदन कोषागार, कमरा नं०-214, बिहार सदन, द्वारका सेक्टर-19, पॉकेट-1, नई दिल्ली-110075 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

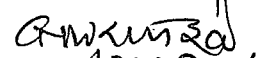


(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7478/जे0, पटना, दिनांक 10-09-26

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना एवं माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10-09-26
(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7478...../जे0, पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

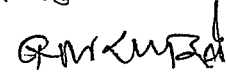


(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7478...../जे0, पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- निबंधक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली एवं अपर सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, संपर्क कार्यालय (विधि विभाग), कमरा नं०-218, बिहार सदन, द्वारका सेक्टर-19, पॉकेट-1, नई दिल्ली-110075 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



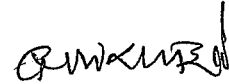
(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7478...../जे0, पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसे महाधिवक्ता कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

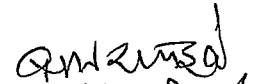


(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7478...../जे0, पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

॥ अ धि सू च ना ॥

संचिका संख्या-06/EH & S-01-06/2026-7479/जे0, पटना, दिनांक-10.09.26

बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के प्रावधानों के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विधि पदाधिकारियों की कोटि में अपर स्थायी विधिक सलाहकार (ASC) के पद पर निम्नांकित अधिवक्ताओं को वचनबद्ध किया जाता है:-

क्र० सं०	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन संख्या	मोबाईल नम्बर
1.	Smt. Aditi Tripathi	D/2092/2012	9903072274
2.	Shri Azmat Hayat Amanullah	D/2580/2010	9810612316
3.	Shri Purnendu Bajpai	UP/05200/2015	8077118198
4.	Shri Amit Chaudhary	P/1331/2001	9216786611
5.	Shri Naveen Kumar	D/2593/1999	9899697779

2. उक्त वचनबद्ध सभी अपर स्थायी विधिक सलाहकार (ASC) को उनके नाम के पहले अंकित क्रम संख्या से ही जाना जायेगा। अर्थात् क्रम संख्या-01 में उल्लेखित नाम को अपर स्थायी विधिक सलाहकार संख्या-01 (ASC-01) कहा जायेगा। यह क्रम परस्पर वरीयता का निर्धारण नहीं माना जायेगा।

3. उक्त सभी विधि पदाधिकारी वचनबद्धता के उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से सरकार के अगले आदेश तक पद को धारित करेंगे एवं देय शुल्क का भुगतान प्रभार ग्रहण की तिथि (पूर्वाहन/अपराहन को दृष्टिपथ में रखकर) से किया जायेगा।

4. उक्त सभी विधि पदाधिकारी को विधि विभागीय पत्रांक-4418/जे0, दिनांक-13.06.2023 एवं विधि विभागीय पत्रांक-118/जे0, दिनांक-08.01.2025 (समय-समय पर यथा संशोधित) अथवा भविष्य में राज्य सरकार द्वारा जो विनिश्चित की जायेगी, के अनुसार शुल्क भुगतान किया जायेगा। शुल्क की देयता के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश, भुगतान की प्रक्रिया में प्रभावी होगा।

5. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी किसी अन्य स्थान पर नियुक्त/वचनबद्ध हो एवं राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से Fixed मासिक शुल्क प्राप्त कर रहे हो या जो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी न्यायाधिकरण में प्रभारी सरकारी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हो तो उन्हें पद से एक (01) माह के अन्दर त्याग-पत्र देना अनिवार्य होगा। अन्यथा इस संबंध में संज्ञान होने पर महाधिवक्ता की अनुशंसा पर उनकी वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

6. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी उक्त नियमावली के नियम-7 में निरर्हताएँ के संबंध में उल्लेखित शर्तों के अधीन किसी भी समय निरर्हक पाये जाते हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी वचनबद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
7. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी राज्य सरकार एवं महाधिवक्ता द्वारा जारी आदेश/निदेश/अनुदेश का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में समीक्षोपरांत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
8. विधि पदाधिकारी सरकार के खिलाफ या सरकारी निगम/बोर्ड/अर्द्धनिकाय या जहाँ सरकार का कोई हित निहित है, के मामले में सरकार के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, यह मामला उनकी वचनबद्धता की तिथि के पूर्व का ही क्यों न हो। ऐसे मामले दृष्टान्त में आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी।
9. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, उक्त नियमावली के नियम-8 में उल्लेखित कर्तव्यों का पालन करेंगे। नियम-8 में उल्लेखित कर्तव्यों के पालन में असफलता की स्थिति में विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श से विधि विभाग, बिहार के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विधि पदाधिकारी के कार्य से किसी भी समय मुक्त कर दिया जायेगा।
10. उक्त नियमावली के नियम-11 के आलोक में उक्त सभी वचनबद्ध विधि पदाधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन महाधिवक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन उनके द्वारा विधि विभाग को भेजी जायेगी तथा समीक्षोपरांत विधि पदाधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उन्हें विधि पदाधिकारी के पद से विमुक्त कर दिया जायेगा।
11. सभी विधि पदाधिकारी अपने कार्यों की विवरणी, जिसमें उनके द्वारा निष्पादित केस एवं विशेष रूप से सरकार के पक्ष एवं विपक्ष में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए विद्वान महाधिवक्ता को प्रत्येक माह समर्पित करेंगे। इसमें यह भी उल्लेख करेंगे कि कितने मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल हुआ और कितने में नहीं हुआ।
12. विधि पदाधिकारियों को अपने आवंटित मामलों में सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली से विधि पदाधिकारी की अनुपस्थिति के शिकायत पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
13. सभी विधि पदाधिकारी, सरकार के विरुद्ध आदेश पारित होने पर महाधिवक्ता को सूचित करते हुए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को अपने परामर्श के साथ प्रतिवेदित करेंगे कि इस मामले में अपील/पुनर्विचार दायर किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र (अधिकतम एक सप्ताह के अंदर) अपने परामर्श के साथ संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे।
14. उक्त वचनबद्ध विधि पदाधिकारियों में प्रत्येक को 03 सहायक अधिवक्ता अनुमान्य होंगे। उक्त नियमावली के नियम-9 के आलोक में सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता महाधिवक्ता की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। सहायक अधिवक्ता की अनुमान्यता एवं इस संबंध में महाधिवक्ता की अनुशंसा से राज्य सरकार द्वारा भविष्य में किये जानेवाले विनिश्चय अथवा समय-समय पर इस संबंध में निर्गत आदेश लागू होगा।

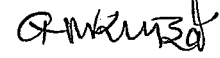
15. सभी विधि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वचनबद्धता के दो माह के अंदर सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता हेतु अनुशांसा के संबंध में कार्रवाई कर ली जाय। साथ ही अगर बीच में किसी सहायक अधिवक्ता को हटाकर किसी दूसरे सहायक अधिवक्ता को वचनबद्ध किया जाता है तो सहायक अधिवक्ता को हटाने के एक सप्ताह के अंदर विधि विभाग को महाधिवक्ता के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा उसके एक महीने के अंदर दूसरे सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता हेतु अनुरोध किया जायेगा।

16. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 में उल्लेखित सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में अपर स्थायी विधिक सलाहकार (ASC) के पद पर नियुक्ति/वचनबद्धता हेतु निर्गत पूर्व के सभी आदेशों को अवक्रमित किया जाता है।

18. यह आदेश, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7479/जे0, पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सी0डी0 प्रति (सॉफ्ट कॉपी) सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा 100 (सौ) गजट की प्रतियाँ इस विभाग में भेजने हेतु अग्रसारित।



(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7479/जे0, पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

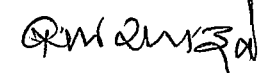


(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7479/जे0, पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, बिहार सदन कोषागार, कमरा नं०-214, बिहार सदन, द्वारका सेक्टर-19, पॉकेट-1, नई दिल्ली-110075 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

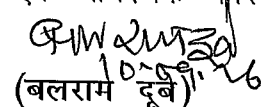


(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7479/जे0, पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना एवं माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

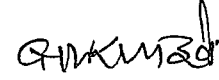

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7479/जे0,

पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्वद/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



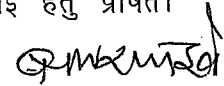
(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7479/जे0,

पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- निबंधक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली एवं अपर सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, संपर्क कार्यालय (विधि विभाग), कमरा नं०-218, बिहार सदन, द्वारका सेक्टर-19, पॉकेट-1, नई दिल्ली-110075 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7479/जे0,

पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसे महाधिवक्ता कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।



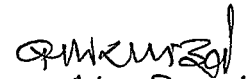
(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:- 7479/जे0,

पटना, दिनांक- 10.09.26

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।